

निर्णय बईजलास करतार सिंह पूर्णिया, आर0ए0एस0, अति0 जिला कलक्टर एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट झालावाड़

प्रकरण सख्या 22/19

दायरा- 02.08.19

राजस्थान सरकार जयें पुलिस अधीक्षक झालावाड़

सायल

बनाम

ललित आ0 मोहनलाल ब्रा0 निवासी झालरापाटन थाना झालरापाटन

गैर सायल

कार्यवाही अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975

उपस्थित :- गैर सायल स्वयं

-: आदेश :-

दिनांक :-06.09.19

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि थानाधिकारी झालरापाटन द्वारा जयें पुलिस अधीक्षक झालावाड़ गैरसायल ललित आ0 मोहनलाल ब्रा0 के विरुद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत निष्कासन हेतु उनके पत्र संख्या 12692 दिनांक 24.07.19 द्वारा इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की, कि गैर सायल के विरुद्ध थाना झालरापाटन जिला झालावाड़ में निम्न मुकदमें दर्ज है :-



क0स0	इस्तगासा पेश करने की दिनांक	धारा	प्रकरणों की स्थिति
1	198/17	13 आरपीजीओ	50/- जुर्माना
2	246/17	13 आरपीजीओ	100/- जुर्माना
3	285/18	13 आरपीजीओ	पेण्डिंग कोर्ट
4	57/19	13 आरपीजीओ	पेण्डिंग कोर्ट
5	82/19	13 आरपीजीओ	पेण्डिंग कोर्ट
6	153/19	13 आरपीजीओ	पेण्डिंग कोर्ट
7	189/19	13 आरपीजीओ	पेण्डिंग कोर्ट

जिनमें में से 2 प्रकरणों में न्यायालय द्वारा निर्णय पारित कर जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जा चुका है। इसके बावजूद भी वह अन्य अवैध कार्य एवं लडाई झगडा, मारपीट आदि आपराधिक गतिविधियों मे लिप्त रहता है। गैर सायल की आम शोहरत यह है कि यह इतना कुख्यात एवं दुःसाहस, है कि आमजन इसकी अपराधो की रिपोर्ट करने या इसके विरुद्ध गवाही देने से डरते है इस कारण इसके द्वारा किये जा रहे अपराध रिकार्ड पर दर्ज नही हो रहे है। इसका स्वच्छन्द रहना समाज के लिए परिसंकटमय है। अतः गैर सायल के विरुद्ध गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत कार्यवाही की जावे।

प्रकरण दर्ज कर गैर सायल को जयें नोटिस तलब किया गया। गैर सायल निर्धारित दिनांक को उपस्थित हुआ गैर सायल द्वारा अपनी मौखिक बहस में अनुरोध किया गया कि गैर सायल अब शांति पूर्वक जीवन यापन कर रहा है-बस पर क्लीनरी का कार्य करता हूँ अब भविष्य में कभी भी यह कार्य नही करूंगा। अतः इस्तगासा खारिज फरमाकर प्रकरण निरस्त फरमाया जावे।

मैंने गैर सायल की मौखिक बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। इस्तगासे में प्रस्तुत दस्तावेजात व साक्ष्यों के आधार पर राज0गुण्डा नियंत्रण

Levi
अति० कलक्टर एवं
अति० विशा मजिस्ट्रेट
झालावाड़ (राज०)

अधिनियम की धारा 3 के अर्न्तगत सन्तुष्ट होकर मैं गैर सायल को गुण्डा घोषित करता हूँ और निम्न आदेश पारित करता हूँ।

—: आदेश :-

ललित आ० मोहनलाल ब्रा० निवासी झालरापाटन थाना झालरापाटन को दिनांक 07.09.19 से 15 दिन (पंद्रह दिवस) के लिए जिला झालावाड की सीमाओं से निष्कासित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। इस अवधि में वह पुलिस थाना सुकेत जिला कोटा के थानाधिकारी को प्रति दिन थानाधिकारी द्वारा निर्दिष्ट समय पर उपस्थित होकर अपनी गतिविधियों की सूचना देता रहेगा। गैर सायल न तो कोई घातक हथियार अपने पास रखेगा और ना ही काम में लेगा, ना किसी प्रकार के मादक द्रव्य मदिरा, अफीम, गोंजा, चरस, भांग आदि का या विस्फोटक या ज्वलनशील वस्तु का कब्जा अपने पास रखेगा। किसी शैक्षणिक संस्था, धार्मिक संस्था, मेला हाट आदि के समीपस्थ दूरी के भीतर उपस्थित नहीं होगा।

यह आदेश आज दिनांक 06.09.19 को खुले न्यायालय में टंकित कराया जाकर, मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया। निर्णय की प्रति शामिल पत्रावली रहे।

lao
अति० जिला कलक्टर एवं
अति० जिला मजिस्ट्रेट
अधि० झालावाड़ जिले
झालावाड़ (राज०)

